आर 0ई0ओ0 33

जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड,जोधपुर

क्र0 / जो0वि0वि0नि0लि0 / अअ–पीपीएम / फा0–सामान्य शाखा / प्रे0 1386 दिनांकः– 9/10/2002

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के बढे हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा / नियमन दिनांक 15 नवम्बर 2002 तक ।

****

निगम द्वारा जनहित मे कृषि के उपभोक्ताओ द्वारा बढे हुये भार की 30 सितम्बर 2002 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या क्रंमाक / जोधपुर डिस्कॉम / अ0अ0 / पी0पी0एम / फा0सामान्य शाखा / प्रे0578 दिनांकः–14.6.2002(आर0ई0ओ 16) के द्वारा काफी रियायते दी गई थी । दिनांक 25.9.2002 को वरिष्ठ अधिकारियो एंवम् कृषि उपभोक्ताओ के प्रतिनिधियो ने विधुत दर श्रेणी परिर्वतन होने के कारण यह बताया कि उपभोक्ताओ ने इस राहत का लाभ नही उठाया । अतः समन्वय समीति की दिनांक 4.10.2002 बैठक मे विचार कर निर्णय लिया गया है कि बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा का समय दिनांक 15 नवम्बर 2002 तक बढ़ा दिया जाऐ व आदेश संख्या 578 दिनांकः– 14.6.2002 (आ0ई0ओ 16) में दिये गये लोड चार्जज व अन्य शर्ते यथावत रखकर भार बढाने पर श्रेणी मे बदलाव(फ्लेट से मीटर प्रणाली) दूसरे समकक्ष उपभोक्ता के बदलाव तक नही किया जाए ।

अतः जो कृषक अपने बढे हुये लोड की स्वयं घोषणा करेगा उसे मात्र 750 / –रुपये (सात सौ पचास) प्रति हार्स पॉवर (जिसमे सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) घोषणा के साथ जमा कराने होंगे। आवश्यक होने पर नई 11 के0वी0लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा ।

यह राहत दिनांक 15 नवम्बर 2002 तक आवेदन करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जायेगी । इस दौरान विजिलेंस चैकिग होने पर तथा अधिक लोड पाये जाने पर भी मात्र 750 / रुपये (सात सौ पचास मात्र) प्रति हार्स पावर (जिसमे सर्विस कनेवशन चार्जेज शामिल है) जमा करवाने होगे व बढा हुआ भार नियमन किया जायेगा। 15 नवम्बर 2002 के पश्चात् विजिलेंस चैकिग के दौरान अधिक लोड पाये जाने पर बढे हुये लोड के लिये रुपये 3450 / – प्रति हार्स पॉवर (2000 रुपये प्रति हार्स पॉवर कम्पनसेंसन चार्जेज तथा 1450 रुपये प्रति हार्सपॉवर ट्रांसफार्मर चार्जेज) एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज उपभोक्ता से लिये जायेगें तथा साथ ही फ्लेट से मीटर प्रणाली का विधुत दर लागू की जाएगी ।

आदेश संख्या जोविविनिलि / अअ–वाणिज्य / जो / सी–1 / 2001 / फा0 प्रे01603 दिनांक–27.11.2001 (वाणिज्य / जोधपुर–80)मे जारी निर्देश उपरोक्त संशोधन सहित माना जावे आदेश संख्या क्रंमाक जोधपुर डिस्कॉम / अ0अ0 / पीपीएम / फा.सामान्य शाखा / प्रे0 579 दिनांक 14.6.2002 (आर.ई.ओ 17) के तहत कार्यवाही इस दौरान भी लागू रहेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एच.एस.देवडा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)